जे. वी. गुप्ता, जे. के समक्ष

स्टेट ऑफ़ हरयाणा - प्रतिवादी-अपीलकर्ता

लोक नाथ,– वादी-प्रतिवादी

नियमित द्वितीय अपील संख्या 1655 ऑफ़ 1985

फ़रवरी 4, 1986.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 311(2)-तदर्थ कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया-कोई पूछताछ नहीं हुई-ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उसके बाद समाप्त कर दी गईं क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है-कर्मचारी-क्या निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन का हकदार है-आदेश निलंबन के तथ्य का उल्लेख करते हुए समाप्ति का - क्या कर्मचारी पर कलंक लगाया गया है ताकि अनुच्छेद 311 को आकर्षित किया जा सके।

माना गया कि, प्रत्येक मामले में यह हमेशा निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न है कि क्या किसी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश समग्र रूप से पढ़ने पर कोई कलंक लगता है या नहीं। केवल उसमें यह उल्लेख कर देने से कि निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते के भुगतान संबंधी आदेश अलग से जारी किए जाएंगे, आदेश को किसी भी तरह से अवैध नहीं ठहराया जा सकता। इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है और चूंकि उसे तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, इसलिए उसकी नियुक्ति की शर्तों को देखते हुए उसकी सेवाएं वैध रूप से समाप्त की जा सकती हैं।
(पैरा 3).

श्री एस. और वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की घोषणा के लिए एक डिक्री पारित करना कि राज्य परिवहन नियंत्रक, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1982 और 18 मार्च, 1982 को पारित आदेश, जिसके द्वारा वादी की सेवाएँ समाप्त कर दिया गया और उसके निलंबन अवधि का वेतन और भत्ता उसे पहले से भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते तक सीमित कर दिया गया, अवैध, शून्य और प्राकृतिक न्याय के नियमों के खिलाफ है और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

पी. एम. आनंद, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से, ए.जी. (हरियाणा) की ओर से।
एम. आर. अग्निहोत्री, साथ दीपक अग्निहोत्री, अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए ।

जे. वी. गुप्ता, जे.

1. यह प्रतिवादी की दूसरी अपील है जिसके खिलाफ घोषणा का मुकदमा ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था लेकिन अपील में फैसला सुनाया गया था।

2. लोक नाथ, वादी-प्रतिवादी, 1 फरवरी, 1975 को हरियाणा रोडवेज, करनाल में सहायक स्टोर-कीपर के रूप में शामिल हुए, नियुक्ति पत्र, प्रदर्शनी पी. 1, दिनांक 30 जनवरी, 1976 के माध्यम से, उनकी नियुक्ति हुई तदर्थ आधार पर था. उनकी सेवाएँ बिना कोई नोटिस दिए या कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती थीं। 16 जुलाई 1979 को, आदेश, प्रदर्श पी.2 के तहत, उन्हें निलंबित कर दिया गया। 6 अप्रैल, 1981 को उन्हें यह बताने के लिए नोटिस दिया गया था कि सेवा से उनके निलंबन की अवधि के लिए उनके बकाए का भुगतान पहले से ही दी गई राशि तक सीमित क्यों न किया जाए। उसे निर्वाह भत्ते के रूप में भुगतान किया गया। हालाँकि, इस बीच, उनकी सेवाएँ 15 मार्च 1982 के आदेश, एक्ज़िबिट पी-3, द्वारा समाप्त कर दी गईं, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। वादी ने इस आशय की घोषणा के अनुदान के लिए मुकदमा दायर किया कि आदेश, प्रदर्शन पी.3, दिनांक 15 मार्च, 1982, और उसके बाद का आदेश, प्रदर्शन पी.5, दिनांक 18 मार्च, 1982, भुगतान को प्रतिबंधित करता है, उनके निलंबन की अवधि, यानी निलंबन की तारीख से उनकी सेवाओं की समाप्ति की तारीख तक, उन्हें पहले से भुगतान किया गया निर्वाह भत्ता, अवैध, नियमों के विरुद्ध, मनमाना और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध था। हरियाणा राज्य की ओर से दायर लिखित बयान में, कुछ प्रारंभिक आपत्तियां ली गईं। योग्यता के आधार पर, यह दावा किया गया कि वादी रोजगार एक्सचेंज द्वारा प्रायोजित किए बिना तदर्थ आधार पर सहायक कैशियर था। रोजगार कार्यालय द्वारा केवल अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। वादी के निलंबन तथा निलंबन अवधि के दौरान उसे जीवन निर्वाह भत्ते के भुगतान के तथ्य को स्वीकार किया गया। उनके आचरण पर कोई कलंक या लांछन लगाए बिना उनकी सेवाओं को समाप्ति के एक साधारण आदेश द्वारा समाप्त करने पर जोर दिया गया। यह तर्क दिया गया कि उनकी सेवाएँ उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार समाप्त कर दी गईं। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के तहत अपेक्षित छंटनी मुआवजे का भुगतान उसे करने का आरोप लगाया गया था। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पाया कि उनकी सेवाओं को समाप्त करने वाला आदेश, प्रदर्शन पी.3, और आदेश, प्रदर्शन पी.5, दोनों कानूनी और वैध थे और परिणामस्वरूप, वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया। अपील में, विद्वान जिला न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के उक्त निष्कर्षों को पलट दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनकी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश में यह कलंक लगाया गया है कि वह एक निलंबित अधिकारी थे और कोई भी भावी नियोक्ता उचित रूप से सोच सकता है कि उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया होगा। कुछ गंभीर आरोपों पर और केवल इसी आधार पर उसे नौकरी देने से इंकार कर सकता है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 311(2) लागू हुआ और चूंकि वादी को कोई अवसर नहीं दिया गया, इसलिए उक्त आदेश अवैध था। नतीजतन, आदेश, प्रदर्शन पी.5, जिसमें उनके निलंबन अवधि के भुगतान को पहले से ही भुगतान किए गए

निर्वाह भत्ते तक सीमित कर दिया गया था, को भी अवैध माना गया था। इन निष्कर्षों के साथ, अपील की अनुमति दी गई, ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया गया और वादी के मुकदमे पर फैसला सुनाया गया। इससे असंतुष्ट होकर प्रतिवादी ने इस न्यायालय में यह दूसरी अपील दायर की है।

3. इस अपील में तय किया जाने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या आदेश, दिनांक 15 मार्च, 1982। प्रदर्शन पी-3, एक संलग्न करता है
हरियाणा राज्य बनाम लोक नाथ (जे. वी. गुप्ता, जे.)
प्रतिवादी पर कलंक है या नहीं, उक्त आदेश में लिखा है, -

"श्री लोक नाथ, तदर्थ सहायक कैशियर, हरियाणा रोडवेज, करनाल (निलंबन के तहत) महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, करनाल के कार्यालय की सेवाएं समाप्त की जाती हैं, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते के भुगतान के संबंध में आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। हालाँकि, वह मुआवजे का हकदार होगा जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुच्छेद 25F (बी) के तहत छह महीने से अधिक की निरंतर सेवा या उसके किसी भी हिस्से के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पंद्रह दिनों के औसत वेतन के बराबर होगा। .

वादी के अनुसार, चूंकि निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान का उल्लेख है, इसलिए यह कलंक है और इसलिए, अनुच्छेद 311 (2) का उल्लंघन है। इस संबंध में निर्भरता एन:बी पर रखी गई थी। न.बी चक्रवर्ती बनाम भारत संघ[1]. आदेश को समग्र रूप से पढ़ना; यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि वादी पर कोई कलंक लगा था, जैसा कि आरोप लगाया गया है। उसमें केवल यह उल्लेख करना कि निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते के भुगतान के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जाएंगे, किसी भी तरह से आदेश को अवैध नहीं बनाता है। आदेश को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि वादी की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं क्योंकि अब उसकी कोई सेवा नहीं रह गई है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि वह मुआवजे का हकदार होगा, जो धारा 25एफ के तहत निरंतर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह महीने से अधिक के किसी भी हिस्से के लिए पंद्रह दिनों के औसत वेतन के बराबर होगा। (बी) औद्योगिक विवाद अधिनियम के। एन.बी., चक्रवर्ती का मामला (सुप्रा), जिस पर निचली अपीलीय अदालत ने भरोसा किया है, काफी अलग है। उसमें, आक्षेपित आदेश निम्नलिखित शर्तों में था, -

---

[1] एयर 1970 असम और नागालैंड 98।

"केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के आर.5 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, मैं श्री एन.बी. चक्रवर्ती, फील्ड प्रदर्शनी अधिकारी, तदर्थ को नोटिस देता हूं जो वर्तमान में निलंबित हैं। कि उसकी सेवाएँ उस तारीख से एक महीने की अवधि की समाप्ति की तारीख से समाप्त हो जाएंगी जिस दिन उसे यह नोटिस दिया गया है।

उक्त आदेश में, यह नहीं कहा गया था कि सेवाएं समाप्त की जा रही हैं क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करने का प्रश्न होगा कि क्या आदेश को समग्र रूप से पढ़ने पर कोई कलंक लगता है या नहीं। इस प्रकार, इस संबंध में निचली अपीलीय अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण आक्षेपित आदेश, प्रदर्शन पी.3 से उचित नहीं है। चूँकि वादी को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, इसलिए उसके नियुक्ति पत्र, एक्ज़िबिट पी.एल. की शर्तों को ध्यान में रखते हुए उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं।

4. जहाँ तक आदेश, दिनांक 18 मार्च, 1982, प्रदर्श पी. 5 का संबंध है, जिसके तहत उसकी निलंबन अवधि के लिए उसकी सेवाओं की समाप्ति की तारीख तक का भुगतान उसे पहले से भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते तक सीमित कर दिया गया था, वह उचित नहीं था। माना जाता है कि वादी को निलंबित करने के बाद उसके खिलाफ कोई जांच नहीं की गई और उसे किसी भी आरोप का दोषी नहीं पाया गया। इन परिस्थितियों में, वह उस अवधि के लिए पूर्ण वेतन पाने का हकदार था, खासकर जब बाद में उसकी सेवाएं बिना किसी जांच के समाप्त कर दी गईं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वादी दो वर्ष से अधिक समय तक निलंबित रहा, जबकि तदर्थ कर्मचारी होने के कारण उसकी सेवाएं तुरंत समाप्त की जा सकती थीं। आदेश, प्रदर्श पी. 5 को विभाग द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सका। वादी उस अवधि के दौरान पूर्ण वेतन पाने का हकदार था।

5. नतीजतन, यह अपील ऊपर बताई गई सीमा तक सफल होती है। निचली अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है और वादी का मुकदमा केवल उस सीमा तक डिक्री किया गया है कि आदेश, दिनांक 18 मार्च, 1982, प्रदर्शनी पी. 5, अवैध था और वादी अपने पूर्ण वेतन का हकदार था। और उसके निलंबन की अवधि के लिए भत्ते। उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश, प्रदर्शन पी.3, को कानूनी माना जाता है और उक्त आदेश के लिए उनका मुकदमा लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

6. अब समय आ गया है जब सरकार को उन संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जिनके अवैध आदेशों या निष्क्रियता के कारण राज्य को नुकसान उठाना पड़ता है और अंततः अवैध आदेशों के कारण सार्वजनिक खजाने से पीड़ित पक्ष को धन का भुगतान किया

जाना चाहिए। कानून की अदालत में अलग रखा गया है. इन परिस्थितियों में, यह उचित होगा कि सार्वजनिक निधि से भुगतान की गई राशि संबंधित अधिकारी से वसूल की जाए जिसने अवैध आदेश पारित किया है। वर्तमान मामले में, निलंबन आदेश बिना किसी कारण या कारण के दो साल से अधिक समय तक लागू रहा। अंततः, वादी की सेवाएँ एक तदर्थ कर्मचारी होने के नाते समाप्त कर दी गईं, जिसका आदेश वर्ष 1979 में भी पारित किया जा सकता था, जब उसे निलंबित कर दिया गया था।

एन.के.एस.

अस्वीकरण:

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा